तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मैसर्स कोसमॉस इन्फ्रा इंजिनियरिंग(इण्डिया)लि. बनाम सुरेन्द्र खटाणा** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/71**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 01.02.2023 को एडमिशन बहस के दौरान यह तथ्य सामने आये थे कि उक्त अपील को न्यायालय श्रीमान् को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है, इस कारण उक्त अपील में आगामी कोई कार्यवाही नही की गई। अपीलान्ट द्वारा जानकारी करने पर भी यह तथ्य सामने आये कि नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 की धारा 60 बी की अपील न्यायालय श्रीमान् को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है इसलिये अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई आचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ने भी स्वीकार किया है कि हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है तथा अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को न्यायालय हाजा के स्तर पर आगे चलाये रखे जाने को कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अधिवक्ता अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	